माननीय रेवेन्यू बोर्ड (राजस्व मण्डल) ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

R-4-1242-PBR-16 रिव्यु प्रकरण क. /16
प्रस्तुति दिनांक /10/2016

1 सवितादेवी पति तुलसीराम रघुवंशी

2 तुलसीराम रघुवंशी पिता दुर्गासिंह उर्फ दुर्गाशंकर रघुवंशी
निवासी 52 बीमा नगर इंदौर म.प्र. — प्रार्थी / केता

1 ओमप्रकाश पिता मांगीलाल
2 संतोष पिता मांगीलाल
3 मुकेश पिता मांगीलाल
4 श्रीमती कमलाबाई पति मांगीलाल
5 राजेश पिता स्व.श्री सदाशिव
6 दिनेश पिता स्व.श्री सदाशिव
7 अशोक पिता स्व.श्री सदाशिव
8 मांगीबाई पति स्व.श्री सदाशिव
9 रमेश पिता रामप्रसाद
10 राधेश्याम पिता रामप्रसाद
11 ईश्वरलाल पिता रामप्रसाद
सभी निवासी ग्राम खजरान तहसील व जिला इंदौर म.प्र.
तर्फे आम मुख्यत्यार तुलसीराम पिता दुर्गासिंह उर्फ दुर्गाशंकर रघुवंशी
निवासी 52 बीमा नगर इंदौर म.प्र. — विकेतापक्ष

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री अक्षय भोण्डे
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26/10/16
को प्रस्तुत।
776/26-10-2016
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्ध

म.प्र. शासन व्दारा उप पंजीयक महोदय
इंदौर –3, इन्दौर म.प्र. —प्रत्यर्थी

पुर्नाविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 56 (4) भारतीय मुद्राक अधिनियम सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से सविनय निवेदन है कि :–

प्रार्थी द्वारा वर्तमान पुर्नविलोकन याचिका श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (पीठासीन अधिकारी श्री मनोज गोयल साहब.) द्वारा अपील प्रकरण कमांक 886–पीबीआर/2015 मे पारित आदेश दिनांक 08–06–2016, जिसके द्वारा विद्ववान अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित आदेश की पुष्ठि की गई होकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से निरस्त की गई होने से व्यथित होकर वर्तमान पुर्नविलोकन याचिका निम्नानुसार सादर प्रस्तुत की जा रही है कि:–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 7242–पीबीआर/2016 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–5–2017	आवेदिका अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–6–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 886–पीबीआर/2015 में पारित आदेश दिनांक 8–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। आवेदिका अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रकिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	